रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 1972/चैत्र 8, 1894

No. 95] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 1972/CHAITRA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March 1972

G.S.R. 214 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, namely :—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Second Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, for item "I. Basic ceiling selling prices of Kerosene in bulk per kilolitre ex-storage points" and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"I, *Basic ceiling selling prices of kerosene in bulk per kilolitre ex-storage points.*

Port/Refinery	Superior Kerosene	Inferior Kerosene	Aviation Turbine Fuel
	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Kandla	543·67	309·03	513·54
(b) Okha	544·88	310·25	518·57
(c) Bombay/Koyali	540·51	305·87	515·94
(d) Goa	542·31	307·70	515·80
(e) Cochin	543·04	308·40	..
(f) Madras	550·93	316·39	535·30
(g) Vizag	548·31	313·75	528·73
(h) Calcutta Digboi Gauhati/Barauni	555·09	320·69	534·13"

[No. F. J-11012/1/72-PPD]

S. D. BHAMBRI, Jt. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1972

सा० का० नि० 214(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिटटी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1970 का और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

1. (1) यह आदेश मिटटी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन), द्वितीय संशोधन आदेश 1972 कहा जा सकेगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. मिटटी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1970 की अनुसूची में मद, "1 भंडार द्वार पर प्रयुज्य मिटटी के तेल की प्रति किलोलीटर आधारित अधिकतम

विक्रय कीमतों" तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्न मद प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :———

" 1 भंडार द्वार पर प्रयुक्त मिटटी के तेल की प्रति किलोलीटर आधारित अधिकतम विक्रय कीमतें ।"

पतन/परिष्करमी	मिटटी का तेल बढ़िया	मिटटी का तेल घटिया	विमानन टरबाइन ईंधन
	रु०	रु०	रु०
(क) कांडला	543.67	309.03	513.54
(ख) ओखा	544.88	310.25	518.57
(ग) बम्बई/कोयाली	540.51	305.87	515.94
(घ) गोआ	542.31	307.70	515.80
(ङ) कोचीन	543.04	308.40	—
(च) मद्रास	550.93	316.39	535.30
(छ) विशाखापटनम	548.31	313.75	528.73
(ज) कलकत्ता/डिग्बोई गोहू टी/बरौनी	555.09	320.69	534.13"

[संख्या फा० जे–11012/1/72 पी पी डी]

एस० डी० भाम्बरी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972